

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 403-अ ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 नवम्बर 2016— कार्तिक 3, शक 1938

सहकारिता विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

क्रमांक/2016/361. — छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 77 की उपधारा (12) सहपठित छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 59-क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की अधिसूचना क्रमांक 131 दिनांक 25 अप्रैल 2016 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2016 विरचित किया है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विनियम के अध्याय (दो) में, विनियम (3) के उपबंधों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एतद्वारा यह घोषणा करता है कि रायपुर, दुर्ग तथा बस्तर राजस्व संभाग के पक्षकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की श्रृंखला न्यायालय (केम्प कोर्ट) का आयोजन रायपुर शहर में प्रत्येक माह के प्रत्येक द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह को किया जावेगा तथा रायपुर केम्प कोर्ट में, अधिकरण के कार्य समय में, दुर्ग, रायपुर तथा बस्तर संभाग से संबंधित सभी न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई नियमित रूप से की जायेगी.

No./2016/361. — In exercise of the powers conferred by sub-section 12 of Section 77 of the Chhattisgarh Cooperative Society Act, 1960 (No. 17 of 1961) read with sub-rule (5) of Rules 59-A of the Chhattisgarh Cooperative Societies Rules 1962, the Chhattisgarh State Cooperative Tribunal, has made Chhattisgarh State Cooperative Tribunal Regulation 2016 vide notification No.131 dated 25th April 2016, as per provisions of regulation 3, in chapter two (II) of the Chhattisgarh State Cooperative Tribunal Regulation 2016, the Chhattisgarh State Cooperative Tribunal Bilaspur hereby declares with the previous sanction of the State Government that taking into account (Consideration) the convenience of the parties belonging to the Raipur, Durg and Bastar Revenue Division, the camp court of Chhattisgarh State

Cooperative Tribunal Bilaspur will be held at the Raipur city in every second and third week of the every month and all the court cases pertaining to the Raipur, Durg and Bastar Division will be heard on regular basis in the working hours of the Tribunal in the Raipur Camp Court.

आदेशानुसार,

हस्ता./-  
(एस. के. गुप्ता)  
रजिस्ट्रार.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. एस. सर्पराज, उप-सचिव.